23/5/2024 पेशकार उपस्थित/अप्रार्थी अनु0 P ... कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली ... दिनांक 6/6/2024 को पेश हो।

6/6/2024 पेशकार उपस्थित/अप्रार्थीगण अनु0 अप्रार्थी ... की तलबी ... पत्रावली दिनांक 14/6/2024 को पेश हो।

14/6/2024 पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी न0 1 उपस्थित व अप्रार्थी न02 अनुपस्थित।** अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से अप्रार्थी नं0 1 ने प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) cooking medium (विश्वास गोल्ड) का विकय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी 1. श्री दशरथ शर्मा पुत्र श्री रामकल्याण जी शर्मा, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स– D.M. Purti Bhandar,** मठ

के बालाजी के पास, मेदपुरा सुल्तानपुर, कोटा, निवासी– मठ के बालाजी के पास, मेदपुरा सुल्तानपुर, कोटा,पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 2. श्री नवीन खण्डेलवाल, (मालिक), मैसर्स– **Sanwaria Agro food product, A-4Mohit Nagar, Sama Dungar, RIICO Industrial Area, Jhotwara Ext., Jaipur-302012,** पर 15000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा